उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग–1

संख्याः / 2022

दिनांकः,2022

प्रेस मान्यता नियमावली–2022
अधिसूचना
विविध

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए सूचना विभाग में प्रेस प्रतिनिधियों को शासकीय नीतियों,जनकल्याणकारी योजनाओं,कार्यक्रमों की कवरेज व समाचारो के संकलन के प्रयोजन से मान्यता दिये जाने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

''उत्तराखण्ड प्रेस प्रतिनिधि मान्यता नियमावली–2022''

संक्षिप्त नाम एवं आरम्भ–

1. (क) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम ''उत्तराखण्ड प्रेस प्रतिनिधि मान्यता नियमावली 2022 है।

(ख) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2.परिभाषाएं –जब तक किविषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

I. **''सरकार''** उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है।

II. **''महानिदेशक''** से महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है।

III. **''प्रेस मान्यता समिति''** से राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना के अन्तर्गत राज्य में मीडिया प्रतिनिधियों को मान्यता देने हेतु सलाह के लिए गठित की गई समिति अभिप्रेत है।

IV. **''समाचार पत्र''** से नियत अन्तरालों पर मुद्रित और समूल्य वितरित कोई ऐसा प्रकाशन अभिप्रेत है, जैसा प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1867 में परिभाषित है।समाचार पत्र की श्रेणी में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक पत्र–पत्रिकाएं भी आयेंगी।

V. **''पत्र–प्रतिनिधि''**कोई भी संवाददाता/फोटोग्राफर/कैमरामैन जो किसी समाचार एजेन्सी,समाचार पत्र,इलेक्ट्रानिक चैनल/वेबपोर्टल आदि का प्रतिनिधित्व करते हों तथा उनकी न्यूनतम आयु21 वर्ष से अधिक हो।

VI. **''सम्पादक''** से अभिप्रेत वह व्यक्ति जो प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1867 के अन्तर्गत घोषित संपादक हो।

VII. **''श्रमजीवी पत्रकार''** से तात्पर्य ऐसे पत्रकार से जो श्रमजीवी पत्रकार एवं सेवा शर्तें तथा अन्य विविध प्राविधान अधिनियम, 1955 के अनुरूप हो।

VIII. **'मान्यता'** से अभिप्राय पत्र प्रतिनिधियों/संपादकों को शासकीय नीतियों, जन कल्याणकारी योजनाओं, शासकीय कार्यक्रमों की कवरेज तथा समाचारों के संकलन के प्रयोजन से दी जाने वाली

पहचान है परन्तु यह किसी भी स्थिति में किसी सरकारी/अधिकारिक या विशेष दर्जा प्रदान करने की व्यवस्था नहीं हैं।

IX. **'सक्रिय पत्रकार'**से तात्पर्य ऐसे प्रेस प्रतिनिधियों से है जिन्हेंपत्रकारिता में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव हो। प्रेस प्रतिनिधियों को जिन संस्थानों का अनुभव हो वहां पर संपादक/संवाददाता/कैमरामैन/रिपोर्टर/फोटोग्राफर के पद पर वेतन भोगी के रूप में पूर्णकालिक रूप से नियुक्त रहें हों अथवा नियमित मानदेय पर पूर्णकालिक रूप से अनुबन्धित रहे हों। अनुबंध/मानदेय आधारित रिटेनरशिप/संवाद सूत्र/स्ट्रिंगर आदि की स्थिति में भी प्रकाशन/संस्थान से **श्रम विभाग द्वारा परित न्यून्तम परिश्रामिक के अनुसार प्राश्रिमिक प्रमाणो से किया जायेगा ₹ 12000/- (बारह हजार रूपये)** प्रतिमाह की प्रामाणिक प्राप्तियाँ होनी आवश्यक है। सक्रिय पत्रकार के रूप में किसी अन्य व्यवसाय में लिप्त नही होना चाहिए। पत्रकारिता के अतिरिक्त सरकारी/गैर सरकारी/अर्द्धशासकीय संस्थानों/निगम/बोर्ड/परिषद/निजी एवं राजकीय शिक्षण संस्थान में नियुक्त अथवा पेंशनभोगी नही होना चाहिए।सक्रिय पत्रकार से तात्पर्य ऐसा पत्रकार जिसका पत्रकारिता के अतिरिक्त अन्य कोई व्यवसाय न हो अर्थात् ऐसा व्यवसाय जिसमें पत्रकार को व्यक्तिगत रूप से सामान्य कार्यालय अवधि में किसी संस्था/कार्यालय/प्रतिष्ठान में उपस्थित होकर गैर-पत्रकारिता संबंधी किसी दायित्व का निर्वहन करना होता है।

X. **'इलेक्ट्रॉनिक चैनल'** से अभिप्राय ऐसे न्यूज चैनलों से है जो भारत सरकार द्वारा प्रचलित नियमों-कानूनों के अन्तर्गत संचालित हों।

XI. **'वेब पोर्टल'** से तात्पर्य **मान्यता के लिए आवेदन के समय**न्यूनतम तीन वर्ष से समान नाम एवं स्वामित्व में संचालित ऐसी समाचार वेब साइटों से है जो मुख्य रूप से टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो-वीडियो द्वारा समाचारों, समसामयिक विषयों पर सामाग्री प्रकाशित करते हों तथा **आवेदन से पूर्व मान्यता के समय एक वर्ष का**प्रतिमाह गूगल एनांलिटिक यूजर डाटा एक लाख से कम न हो, **और मान्यता की अवधि मे भी वेब पोर्टल द्वारा न्यून्तम यूजर संख्या के नियमो का पालन किया जायेगा अन्यथा मान्यता निरस्त कर दी जायेगी,** वेब पोर्टल का डोमेन आवेदन की तिथि से न्यूनतम तीन वर्षों के लिए भविष्य हेतु पंजीकृत हो। वेब पोर्टल का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 10 लाख रूपये हो।स्रोत फेसबूक, यू-ट्यूब या अन्य किसी वीडियो शेयरिंग साइट पर संचालित किसी एकाउंट को इस नियमावली के अन्तर्गत वेब पोर्टल की श्रेणी में नहीं रखा जायेगा।

XII. **'एजेंसी'** से तात्पर्य PTI/UNI/ANI/यूनीवार्ता/भाषा/हिन्दुस्थान समाचार के अतिरिक्त प्रिंट-इलेक्ट्रॉनिक-वेब फोटो की ऐसी समाचार एजेंसी से है जिसके उत्तराखण्ड सहित 05 राज्यों अथवा ऐसी एजेंन्सी जिनके प्रतिनिधि भारत सरकार के पी0आई0बी0 द्वारा प्रेस मान्यता हेतु अर्हय समझे जाते हों।

XIII. **'स्वतंत्र पत्रकार'** से अभिप्राय ऐसे पत्रकार से है जो न्यूनतम 20 वर्षों में पत्रकारिता के क्षेत्र में संवाददाता, रिर्पोटर, फोटोग्राफर, कैमरामैन, फीचर राइटर, कॉलमिस्ट आदि के रूप में सक्रिय रहे हों।ऐसे पत्रकार जो किसी संस्थान, समाचार माध्यम से सम्बद्ध तथा किसी शासकीय/अशासकीय

संस्थानों में लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो, तथा स्वयं का कोई समाचार पत्र चैनल, पोर्टल न चलाता हो अथवा मालिक/स्वामित्व न हो। विज्ञापन का कार्य करने वालों को इस श्रेणी में नहीं रखा जायेगा तथा मान्यता आवेदन के समय न्यूनतम एक वर्ष से स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर रहे हों।

3. **प्रेस मान्यता समिति**— समिति में 04 सरकारी सदस्य, 04 गैर सरकारी सदस्य होंगे। समिति में गैर सरकारी सदस्यों का चयन/नामांकन नियम—4 के अनुसार होगा। समिति निम्नवत् संरचित होगीः—

1. **महानिदेशक,सूचना** — अध्यक्ष
2. **अपर निदेशक,सूचना**—सदस्य सचिव
3. **प्रभारी अधिकारी, प्रेस** — सदस्य
4. संबंधित जिला सूचना अधिकारी (जनपद स्तरीय मान्यता प्रकरणों हेतु)— सदस्य

4. <u>समिति में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन, कार्यकाल एवं पद से हटाया जाना</u>—

(i) समिति में चार गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन भारतीय प्रेस परिषद द्वारा अपने विभिन्न प्रयोजनों हेतु अधिसूचित प्रिंट मीडिया संगठनों में से<u>1 (एक) प्रतिनिधी</u> तथा श्रम विभाग,उत्तराखण्ड द्वारा पंजीकृत प्रिट मीडिया के पत्रकार संगठनों में से**एक** संगठनों के <u>1 (एक) प्रतिनिधी</u> से लिया जायेगा। भारतीय प्रेस परिषद द्वारा अधिसूचित संगठन के सदस्यों के उत्तराखण्ड में निवासरत न रहने की स्थिति में सभी **02 (दो)**पत्रकार श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत पत्रकार संगठनों से लिये जायेंगे। प्रत्येक संगठन द्वारा तीन पत्रकारों का नाम संबंधित पत्रकार संगठन के अध्यक्ष एवं सचिव की संस्तुति सहित प्रस्तुत किये जायेगे।जिस पर सम्यक विचारोपरान्त सूचना विभाग द्वारा एक संगठन से केवल एक पत्रकार नामित किया जायेगा। प्रत्येक नामित पत्रकार हेतु इस नियमावली में निर्धारित जनपद स्तरीय मान्यता की शर्तों को पूर्ण करना आवश्यक है।

(ii)समिति में पत्रकार संगठनों के माध्यम से आये हुये सदस्यों के अतिरिक्त शेष **02** पत्रकार सदस्य सूचना मंत्री/मुख्यमंत्री द्वारा नामित किये जायेंगे।

(iii)समिति में नियम 4 (i)व नियम 4 (ii)में उल्लिखित गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम **तीन** वर्ष का होगा, <u>**जिसे विशेष परिस्थितियो में मा0 सूचना मंत्री द्वारा एक—एक वर्ष के लिएबढाया जा सकता है।**</u>

(iii)4 **(i)**संबंधित संगठन के सदस्य सचिव एवं अध्यक्ष की संस्तुति पर।

(iii) 4 **(ii)**नामांकित पत्रकारों का कार्यकालसूचना मंत्री/मुख्यमंत्री द्वारा <u>3 तीन</u>वर्ष से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है।

(iv) समिति में गैर सरकारी सदस्यों के त्याग पत्र देने,संबंधित संगठन से निष्कासित किये जाने अथवामानसिक रूप से/गम्भीर बीमारी से अस्वस्थ होने तथा न्यायालय से दोषसिद्ध होने पर सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

5. <u>समिति की अध्यक्षता</u> — प्रेस मान्यता समिति की बैठक की अध्यक्षता महानिदेशक,सूचना द्वारा की जायेगी,किन्तु अपरिहार्य कारणों में महानिदेशक,सूचना की अनुपस्थिति में प्रेस मान्यता बैठक का

संचालनएवं अध्यक्षता समिति के सदस्य सचिव द्वारा की जायेगी,तदापि बैठक के कार्यवृत्त/निर्णय का अनुमोदन महानिदेशक,सूचना द्वारा प्रदान किये जाने के उपरांत ही समिति के निर्णय मान्य होंगे।

6. **मान्यता के लिए संस्तुति**– समिति द्वारा प्रेस मान्यता के लिए प्राप्त सभी आवेदनों पर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मिति से संस्तुति की जायेगी। समिति के निर्णय से असंतुष्ट आवेदक निर्णय की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर अपना लिखित प्रत्यावेदन/पक्ष रख सकते हैं जिस पर समिति की अगली बैठक में विचार किया जायेगा।

7. **प्रेस मान्यतासमिति की बैठक व गणपूर्ति**– प्रेस मान्यता समिति की बैठकवर्ष मेंन्यूनतम दो बार की जायेगी। बैठक की गणपूर्ति अध्यक्ष व सचिव दोनों में से किसी एक को सम्मिलित करते हुए न्यूनतम **04**सदस्यों से पूरी होगी,**जिसमें अनिवार्यतः 02 गैर सरकारी सदस्य होगें।**

8. **गैर सरकारी सदस्यों को देय यात्रा एवं दैनिक भत्ता**–प्रेस मान्यता समिति में ऐसे नामित गैर सरकारी सदस्यों को बैठक के दौरान**₹5000 (पांच हजार रुपये) प्रति बैठक,एवं राज्य के भीतर बैठक में प्रतिभाग करने के लिए अपने निवास स्थान से कार्यालय आने–जाने हेतु प्रथम श्रेणी (लेवल–11, के समतुल्य) का वाहन सुविधा/वास्तविकता के आधार पर किराया की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।**

राज्य(मुख्यालय) /जनपद/तहसील स्तरीय प्रेस मान्यता के नियम व शर्ते

9. **प्रेस मान्यता के लिए आवेदन पत्र**– राज्य स्तरीय प्रेस प्रतिनिधि मान्यता/राज्य स्तरीय स्वतंत्र पत्रकार द्वारा मान्यता हेतु नियमावली के परिशिष्ट–1 में उल्लिखित आवेदन पत्र सुसंगत अभिलेखों सहित महानिदेशक सूचना को प्रस्तुत करना होगा। जनपद स्तरीय प्रेस प्रतिनिधि मान्यता/जनपद स्तरीय स्वतंत्र पत्रकार मान्यता हेतु नियमावली के परिशिष्ट–2 में उल्लिखित आवेदन पत्र सुसंगत अभिलेखों सहित जिला सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे जो अपनी टिप्पणी/संस्तुति सहित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। महानिदेशक समय–समय पर आवश्यकतानुरूप इस नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप आवेदन पत्रों, परिशिष्ट–1 एवं 2 की रूपरेखा तथा आवश्यक अभिलेखों का निर्धारण करने हेतु अधिकृत होंगे।

10 **मान्यता के सामान्य नियम–शर्ते/पात्रता**– राज्य/जनपद/तहसील स्तरीय मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्ते/अर्हता पूरी करनी होगी–

(I)राज्य स्तरीय मान्यता के लिए पत्र प्रतिनिधि का नियमितनिवास मान्यता की अवधि में राज्य मुख्यालय में होना आवश्यक होगा।**जनपद स्तरीय मान्यता के लिए जनपद के मुख्यालय (जनपद नैनीताल के संदर्भ में हल्द्वानी अथवा नैनीताल) में निवास होना अनिवार्य होगा। तहसील के लिये संबंधित जनपद में निवास आवश्यक है।**

(II)राज्य स्तरीय मान्यता हेतु आवेदन करने की तिथि को आवेदक की पूर्णकालिक श्रमजीवी/सक्रिय पत्रकार के रूप में पत्रकारिता का न्यूनतम 07 वर्ष का अनुभव होना चाहिये। इसके साथ ही संबंधित संस्थान जिसके लिए आवेदन किया गया हो मेंन्यूनतम02 वर्ष से निरन्तर सेवारत होना आवश्यक होगा। जनपद स्तरीय मान्यता के लिए अनुभव की अवधि 05 वर्ष एवं संबंधित संस्थान में न्यूनतम कार्यावधि 01 वर्ष होगी। तहसील स्तरीय मान्यता के लिए न्यूनतम अनुभव04 वर्ष एवं संबंधित संस्थान में न्यूनतम

कार्यावधि 06 माह होगी। परन्तु यदि आवेदक आवेदन से पूर्व किसी (उत्तराखण्ड सरकार, अन्यकिसीराज्य एव केन्द्र सरकार)में मान्यता प्राप्त पत्रकार रहा हो तो न्यूनतम कार्यावधि की शर्त लागू नहीं होगी।

(III)आवेदक का पत्रकारिता में पूर्णकालिक श्रमजीवी/सक्रिय पत्रकार होने तथा उसकी आजीविका पत्रकारिता पर निर्भर होने संबंधी अभिलेख शपथ पत्र जैसा महानिदेशक द्वारा परिशिष्ट–1एवं 2 (आवेदन पत्र)में निर्धारित किया जाय प्रदान करना आवश्यक होगा।

(IV) आवेदक सरकारी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/सरकारी प्रतिष्ठानों तथा सरकार द्वारा संचालित वित्त निगमों आदि के कर्मचारी अथवा सेवानिवृत्त पेंशन भोगी कर्मचारी नहींहोना चाहिए।

(V) राज्य की राजधानी/जनपद एवं तहसील मे प्रेस मान्यता के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता विधि द्वारा मान्य किसी शिक्षण संस्थान से स्नातक अथवा समतुल्य तथा जनपद एवं तहसील स्तरीय मान्यता हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विधि द्वारा मान्य किसी बोर्ड/परिषद से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

राज्य स्तरीय/जनपद स्तरीय/तहसील स्तरीय मान्यता हेतु अर्ह शैक्षणिक योग्यताः–

क्र.सं.	मान्यता का स्तर	शैक्षिक योग्यता
1.	राज्य स्तरीय मान्यता हेतु	विधि द्वारा मान्य किसी शिक्षण संस्थान से स्नातक अथवा समतुल्य उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। ।
2.	जनपद एवं तहसील स्तरीय मान्यता हेतु	न्यूनतम विधि द्वारा मान्य किसी बोर्ड/परिषद से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

(VI)राज्य की राजधानी में प्रेस मान्यता हेतु प्रेस प्रतिनधि के पत्र/चैनल/वेबपोर्टल का कार्यालय उत्तराखण्डराज्य की राजधानी के मुख्यालय से संचालित होना आवश्यक है।

(VII) आवेदक के आचरण के संबंध में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षकद्वाराचरित्र सत्यापन आवश्यक होगा जिसे आवेदन प्राप्त होने के उपरांत महानिदेशक सूचना द्वारा कराया जायेगा। सामान्यतः चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हुए बिना समिति द्वारा किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में चरित्र सत्यापन रिपोर्ट लंबित रहने की दशा में समिति द्वारा औपबंधिक विचार किया जा सकता है।

(VIII) राज्य/जनपद स्तरीय मान्यता प्रकरणों से सम्बन्धित विवाद की स्थिति में समिति की संस्तुति पर अंतिम निर्णय महानिदेशक,सूचना द्वारा लिया जायेगा।

(IX) जनपद मुख्यालय की तहसील को मान्यता के लिए विचार नहीं किया जायेगा। सूचना विभाग की वर्तमानयोजनाओं में जब तक कि शासनादेश द्वारा यथोचित संशोधन न हो तहसील मान्यता को जनपद स्तरीय मान्यता के समकक्ष माना जायेगा।

(X) दूरदर्शन/आकाशवाणी में कार्यरत नियमित कार्मिकों को उनके केन्द्र प्रमुख जो समाचार संकलन समसामयिक कार्यक्रम निर्माण से संबंधित हो और जिन्हे अपने कार्य के लिए दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रो के बाहर जाना होता है उन्हे उनके केन्द्र प्रमुख की संस्तुति पर अधिमान्यता (शासकीय श्रेणी में) प्रदान की जायेगी। ये पत्रकार सूचना विभाग द्वारा प्रदत्त निशुल्क परिवहन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं अन्य किसी वित्तीय

आशय से निहित सुविधाओं के पात्र नही होंगे। दूरदर्शन/आकाशवाणी में अनुबन्धित उन कार्मिकों के लिए सामान्य पत्रकारों की भॉति नियम लागू होंगे, जिन्हें सेवाशर्तों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति, परिवहन भत्ता आदि अन्य कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती है।

(XI) दूरदर्शन/आकाशवाणी/प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक न्यूज एजेंसी में अंशकालिक रूप में नियुक्त ऐसे कार्मिक जो अन्य किसी व्यवसाय में भी संलग्न हों परन्तु दूरदर्शन/आकाशवाणी/न्यूज एजेंसी के लिए नियमित समाचार प्रेषण करते हो को भी मान्यता अनुमन्य किये जाने हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ विचार किया जायेगा कि वह माह में न्यूनतम 10 दिन समाचार प्रेषित करते हों। अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

(XII) राज्य/जनपद/तहसील स्तरीय मान्यता कैलैण्डर वर्ष के लिए अनुमन्य होगी, जिसका नवीनीकरण मान्यता के अगले वर्ष अर्थात01 जनवरी से 31 जनवरी तक नियमावली में निहित शर्तो के अधीन किया जायेगा, परन्तु जनवरी माह से मान्यता से समस्त वित्तीय सुविधाएं (परिवहन को छोडकर) तभी स्वीकृत की जायेगी जब मान्यता अगले वर्ष के लिए नवीनीकृत की जायेगी।

(XIII)उत्तराखण्ड से प्रकाशित एबीसी/आर.एन.आई प्रसार संख्या प्रमाणित अथवा 75 हजार से अधिक प्रसार संख्या वाले दैनिक समाचार पत्रों के संपादकों जिनका नाम समाचार पत्र की प्रिंट लाइन में प्रकाशित होता हो को बिना अधिमान्यता समिति बैठक किये महानिदेशक सूचना द्वारा राज्य स्तरीयमान्यता अनुमन्य की जा सकेगी, इनके लिए अन्य कोई पात्रता शर्त लागू नही होगीं।

11.**राज्य स्तरीय मान्यता के लिए दैनिक समाचार पत्र**जिसकी प्रसार संख्या कम से कम 50 हजार तथा जिनकी माप 7600 वर्ग से.मी से कम न हो,**(सम्पूर्ण प्रकाशित पृष्ठों का क्षेत्रफल)**तथा जिनके प्रतिमाह न्यूनतम **24**अंक प्रकाशित होते हैं,अर्ह होगे।

12.साप्ताहिक/पाक्षिकसमाचार पत्र/पत्रिकाऐं–

(ए)उत्तराखण्ड राज्य से मुद्रित एवं प्रकाशित ऐसी साप्ताहिक समाचार पत्रजिनकी माप3500वर्ग से.मी से कम न हो, **(सम्पूर्ण प्रकाशित पृष्ठों का क्षेत्रफल)**मान्यता हेतु पात्र होंगे।

(बी)उत्तराखण्ड राज्य से मुद्रित एवं प्रकाशित ऐसी पत्रिकाए जिनकी माप4800वर्ग से.मी से कम न हो, **(सम्पूर्ण प्रकाशित पृष्ठों का क्षेत्रफल)**मान्यता हेतु पात्र होंगे।

2. साप्ताहिक/पाक्षिक समाचार पत्रों की **शशुल्क पर्वतीय** जनपदो से **2000**प्रति प्रकाशित होना आवश्य है। एक से अधिक संस्करण होने की दशा में प्रदेश में एक ही प्रतिनिधि को स्वामी की संस्तुति पर मान्यता दी जा सकती है।

3. साप्ताहिक/पाक्षिक समाचार पत्रों के सम्पादकों को मान्यता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह न्यूनतम07 वर्ष से पत्रकारिता कर रहे हों और जिस समाचार पत्र से मान्यता का आवेदन किया है उस समाचार पत्र में 05 वर्ष से सम्पादक के पद पर कार्यरत हों।

4. साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्रों हेतु मान्यता के लिए स्वामी और संपादक, संवाददाताभिन्न–भिन्न व्यक्ति होने पर संपादक **एवं प्रतिनिधि**की औपचारिक नियुक्ति एवं उसका पूर्णकालिक वेतन भोगी होना आवश्यक है।

(13)**मासिक पत्र/पत्रिकाऐं**—उत्तराखण्ड राज्य से प्रकाशित मासिक पत्रिकाओं की न्यूतनतम प्रसार संख्या 5 हजार होना अनिवार्य होगा। मासिक पत्रिकाओं के लिए **सम्पादक या उनके द्वारा नामित** जनपद अथवा प्रदेश में अधिकतम एक प्रतिनिधि को मान्यता दी जा सकती है। प्रदेश के बाहर से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिकाओं के लिए प्रसार संख्या (समूह के लिए न्यूनतम प्रसार संख्या पांच लाख से कम न हो, के अधिकतम एक प्रतिनिधि मान्यता हेतु पात्र होंगे।

.(14) प्रिंट न्यूज एजेंसी के राज्य मुख्यालय पर 02 संवाददाता एक फोटोग्राफर को एवं जनपद स्तर पर 01 संवाददाता तथा 01 फोटोग्राफर मान्यता अनुमन्य की जा सकेगी। इसी प्रकार इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की न्यूज एजेंसी को राज्य मुख्यालय पर 02 संवाददाता 02 कैमरामैन, जनपद स्तर पर 01 संवाददाता तथा 01 कैमरामैन को प्रेस मान्यता अनुमन्य की जा सकेगी।

<u>प्रिन्ट मीडिया न्यूज एजेंसी/इलैक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज एजेंसी को राज्य/जनपद स्तरीय मान्यता कोटा</u>

प्रकार	राज्यस्तरीय		जनपद स्तरीय	
	संवाददाता	फोटोग्राफर/कैमरामैन	संवाददाता	फोटोग्राफर/कैमरामैन
प्रिन्ट मीडिया न्यूज एजेसी	02	01	01	01
इलैक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज एजेंसी	02	02	01	01

(15) एबीसी श्रेणी के समाचार पत्रों के सम्पादकों की मान्यता का अंकन कोटे में नही किया जायेगा।

(16)स्वतंत्र पत्रकार के लिए राज्य/जनपद स्तरीय मान्यता हेतु न्यूतम आयु 45 वर्ष होगी।उसे पूर्णकालिक पत्रकार के रूप में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव,जिसमें से कम से कम 05 वर्ष तक राज्य/जनपद मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त अथवा राज्य मान्यता हेतु अर्ह समाचार पत्र में सम्पादक/समाचार सम्पादक अथवा उसके समकक्ष पद कार्यरतरहा हो। नियमित रूप से किन्हीं पांच मान्यता प्राप्त पत्र—पत्रिकाओं में समाचार/लेख/फोटोग्राफ छपते रहने चाहिए अथवा दो समाचार चैनलों पर रिपोर्ट या कार्यक्रम आते रहे होंअथवा न्यूनतम 05 वेब पोर्टलों पर नियमित लेख/वीडियो इत्यादि प्रकाशित होते रहे हों। प्रतिवर्ष स्वतंत्र पत्रकारिता से न्यूनतम सिद्व आय एक लाख बीस हजार मात्र(राज्य मान्यता) तथा 60 हजार रूपये (जिला मान्यता) हेतु होनी आवश्यक है। आवेदन की तिथि से पूर्व वित्तीय वर्ष के अभिलेखों के आधार पर आंगणित होगी। जिस कार्य हेतु उक्त आय प्राप्त हुई है उसका संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा। स्वतंत्र पत्रकार, प्रेस प्रतिनिधियों की भांति किसी भी विधा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

17. विभिन्न श्रेणियो के समाचार पत्र/पत्रिकओं के लिए राज्य/जनपद/तहसील स्तरीय मान्यता कोटा।

17(**i**).राज्य से प्रकाशित ए.बी.सी/आर.एन.आई. प्रसार संख्या प्रमाणित दैनिक समाचार पत्र के लिए मान्यता कोटा

प्रकाशनस्थल	राज्य में सभी संस्करणों की कुल प्रसार संख्या	राज्यस्तरीय		प्रकाशन के जनपद में जनपद स्तरीय मान्यता		प्रकाशन जनपद के अतिरिक्त अन्य जनपद स्तरीय		तहसील स्तरीय संवाददाता
		संवाददाता	फोटोग्राफर	संवाददाता	फोटोग्राफर	सं0	फोटो.	
देहरादून (राज्य मुख्यालय)	<u>75 हजारया अधिक</u>	08	02	04	02	02	01	01
देहरादून के अतिरिक्त अन्य कोई जनपद	<u>75 हजारया अधिक</u>	0	0	06	02	02	01	01
17(ii). राज्य से प्रकाशित आर.एन.आई/सी.ए दैनिक समाचार पत्र के लिए मान्यता कोटा								
देहरादून (राज्य मुख्यालय)	50–75 हजार या अधिक	03	01	02	01	01	01	01
	25–50 हजार से कम	02	01	01	01	01	01	01
देहरादून के अतिरिक्त	50–75 हजार या अधिक	0	0	03	01	01	01	01
	25–50 हजार से कम	0	0	01	01	01	01	01
राज्य के किसी भी जनपद से	25–50 हजारया अधिक	0	0	02	01	01	0	0
	10–25 हजार से कम	0	0	01	0	0	0	0

17(iii)3. राज्य के बाहर से प्रकाशित ए.बी.सी प्रसार संख्या प्रमाणित दैनिक समाचार पत्र

स्टेट ब्यूरो कार्यालय	पत्रकार सं0	राज्य स्तरीय		ब्यूरो के जनपद में		अन्य जनपदों में	
		संवाददाता	फोटोग्राफर	संवाददाता	फोटोग्राफर	संवाददाता	फोटोग्राफर
देहरादून	08 से अधिक	03	01	01	01	01	0
	04 से अधिक	02	01	01	0	01	0
	कम से कम 01	01	01	01	0	01	0

18. विभिन्न श्रेणियो के राज्य स्तरीय (राज्य में सूचीबद्वता हेतु अर्ह) इलैक्ट्रॉनिक चैनलों के लिए राज्य/जनपद/तहसील स्तरीय मान्यता कोटा। यहाँ श्रेणियां सूचना विभाग में प्रचालित इलेक्ट्रानिक चैनलों की सूचीबद्वता में उल्लिखित श्रेणियों के समान होगी।

श्रेणी–	राज्य स्तरीय		जनपद स्तर		तहसील स्तर	
	सम्पादक/ब्यूरो चीफ/संवाददाता	कैमरामैन	संवाददाता	कैमरामैन	संवाददाता	कैमरामैन
ए	04	04	02	02	01	01
बी	03	03	01	01	01	01
सी	02	02	01	01	00	00
डी	01	01	01	01	00	00

19.अन्य समाचार चैनल जो न्यूनतम 05 D T Hराज्य मुख्यालय पर ब्यूरो स्थापित हो तथा उसमें न्यूनतम तीन रिपोर्टर एवं दो कैमरामैन नियुक्त हो तो उनके एक–एक रिपोर्टर–कैमरामैन को मान्यता प्रदान की जा सकती है। 04 D T Hराज्य मुख्यालय ब्यूरो न होने पर उनके एक रिपोर्टर–एक कैमरामैन को राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्रदान की जा सकती है।

श्रेणी–	राज्य स्तरीय		जनपद स्तर	
	संवाददाता	कैमरामैन	संवाददाता	कैमरामैन
3 डी.टी.एच	01	01	01	01
2 डी.टी.एच	01	01	0	0

20.वेब पोर्टल के लिए मान्यता कोटाः–प्रतिमाह यूजर संख्या 10 लाख से अधिक होने पर राज्य स्तरीय मान्यता हेतु 02प्रतिनिधियों हेतु विचार किया जा सकता है तथा प्रदेश के दो मण्डलो में एक–एक जनपद स्तरीय रिपोर्टर को मान्यता दी जा सकती है। प्रतिमाह यूजर संख्या 05 लाख से दस लाख के मध्य होने पर 01 प्रतिनिधि को

राज्य मान्यता दी जा सकती है।यूजर संख्या 1 लाख से 5 लाख तक होने पर प्रदेश के किसी एक जनपद में एक प्रतिनिधि को मान्यता दी जा सकती है। सामान्यतः यह जनपद राज्य मुख्यालय या वह जनपद होगा जहाँ पोर्टल का मुख्य कार्यालय स्थित है। आवेदन की तिथि को विगत **01 वर्ष** की गूगल एनालिरिटिवी 10 लाख होगी।

श्रेणी–	राज्य स्तरीय	मण्डल स्तर
	संवाददाता	संवाददाता
10 लाख से अधिक यूजर	02	मण्डल के किसी एक जनपद में 01 प्रतिनिधि
5 लाख से 10 लाख के मध्य यूजर	01	0
1 लाख से 5लाख के मध्य यूजर	0	मण्डल के किसी एक जनपद में 01 प्रतिनिधि

21.**मान्यता का नवीनीकरणः**–मान्यता का प्रत्येक 2 वर्ष में नवीनीकरण किया जायेगा तथा प्रेस मान्यता का नवीनीकरण करते समय पूर्व में प्रेस मान्यता के समय प्रस्तुत किये गये अभिलेख पुनः उपलब्ध कराना आवश्यक होगा तभी मान्यता का नवीनीकरण किया जायेगा।

22.इस नियमावली के लागू होने के उपरान्त पूर्व में अनुमन्य प्रेस मान्यता छः माह के लिये वैद्य रहेगी, तथा संबंधित को छः माह के अन्दर पुनः मान्यता हेतु इस नियमावली निहित नियमो के अधीन प्रेस मान्यता के लिये आवेदन करना होगा।

23.मान्यता का वापस लिया जाना :–**निम्नलिखित परिस्थितियों में मान्यता वापस ली जा सकती है।**

(क) यदि कोई मान्यता प्राप्त–प्रतिनिधि उपलब्ध सूचनाओं और सुविधाओं का उपयोग पत्रकारिता के अतिरिक्त विज्ञापन अथवा अन्य कार्यो के लिए करता हो।

(ख) मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि के गैर पत्रकारिता गतिविधियों में रत होने या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने, किसी न्यायालय में अपराधिकवाद,अशोभनीय आचरण करने की दशा में समिति द्वारा मान्यता निलम्बित या वापस ली जा सकती हैं।

(ग) यदि मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि अपने अथवा अपने संगठन के बारे में झूठी सूचना देते पाया जाता है और यदि उसे अपने बचाव का उचित अवसर देने के बाद समिति को यह संतोष हो जाता है कि आरोप सही है तो मान्यता निलम्बित या वापस ली जा सकती है।

(घ) मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि के किसी लाभ केपद पर कार्यरत होने पाये जाने पर मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी। इसके अतिरिक्त मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि द्वारा संस्थान छोडने/स्थानान्तरण होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

(i) उपरोक्त आधार पर मान्यता समाप्त करने से पूर्व संबंधित पत्र–प्रतिनिधि को कारण बताओं नोटिस दिया जायेगा और उससे प्राप्त उत्तर या एक निर्दिष्ट अवधि में उत्तर प्राप्त न होने पर मामले के अन्य उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

(ii)पत्र प्रतिनिधि यदि समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहे तो आवश्यकतानुसार उसे इसका अवसर दिया जायेगा।

24.मान्यता का पुनरीक्षण (1) पत्र प्रतिनिधियों को जिन परिस्थितियों में मान्यता दी गयी है उनमें यदि कोई भी परिवर्तन आ जाये जिनके आधार पर मान्यता पुनरीक्षण आवश्यक हो जाए तो सामान्य पुनरीक्षण के समय अथवा किसी भी समय संबंधित पत्र प्रतिनिधि की मान्यता के विषय में समिति महानिदेशक अपने विवेक का प्रयोग करते हुए निर्णय करेगी।

(2) समिति को पुनरीक्षण के लिए संबंधित पत्र प्रतिनिधि/समाचार पत्र/समाचार समिति से कोई भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। निर्धारित अवधि के भीतर सूचना प्राप्त न होने पर संबंधित पत्र– प्रतिनिधि की मान्यता समाप्त की जा सकती है।

25.मान्यता की समाप्तिः (1) समाचार पत्र आदि छोड़ने पर मान्यता की समाप्ति यदि कोई मान्यता प्राप्त पत्र–प्रतिनिधि अथवा फोटोग्राफर संबंधित समाचार–पत्र, समाचार एजेन्सी, फोटो एजेन्सी, ब्रॉडकास्टिंग संस्थान अथवा टेलीविजन का प्रतिनिधित्व छोड़ता है तो पत्र प्रतिनिधि, संपादक अथवा एजेन्सी या ब्यूरो के प्रभारी द्वारा इसकी लिखित सूचना अविलम्ब महानिदेशक को दी जानी चाहिए। इस स्थिति में मान्यता स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी ।

(2)किसी समाचार पत्र का प्रकाशन बन्द होने या संवाद समिति बन्द होने पर उसके प्रतिनिधि को प्रदत्त मान्यता स्वतः रद्द हो जायेगी।

26.मुख्यालय में लगातार अनुपस्थिति– यदि मान्यता प्राप्त पत्र प्रतिनिधि मुख्यालय से लगातार तीन महीने तक बाहर रहता है तो उसकी मान्यता महानिदेशक द्वारा अध्यक्ष की अनुशंसा से समाप्त की जा सकती है परन्तु वह कार्यवाही संबंधित समाचार–पत्र, समाचार एजेन्सी के सम्पादक, मैनेजर जैसी स्थिति हो, से आख्या प्राप्त करही की जायेगी। वह अवधि संबंधित संपादक और मैनेजर के लिखित अनुरोध पर तीन मास और बढ़ाई जा सकती है ।

27.मान्यता अहस्तांतरणीय– मान्यता व्यक्ति विशेष को प्रदान की जाती है, अतःउसे हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है।

28.प्रतिबन्ध– मान्यता मिल जाने से पत्र प्रतिनिधि का कोई सरकारी स्तर निर्धारित नहीं हो जाता। सरकार पत्र प्रतिनिधि को केवल संबंधित समाचार पत्र अथवा प्रेस एजेन्सी के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्रदान करती है। इसलिए उसे अपने विजिटिंग कार्ड अथवा लेटर हेड पर ''उत्तराखण्ड सरकार से मान्यता प्राप्त'' नहीं छपवाना चाहिए।ऐसा करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है।

29. मान्यता कार्ड :–राज्य/जनपद/तहसील स्तरीय पत्र प्रतिनिधि को मान्यता प्रदान किये जाने पर एक कार्ड दिया जायेगा और इसकी सूचना सम्बन्धित जिला प्रशासन को दी जोयगी।

30. विशेष परिस्थितियों में महानिदेशक की संस्तुति पर विभागीय मंत्री/सूचना मंत्री के अनुमोदन से प्रशासकीय विभाग द्वारा इस नियमावली के किसी भी प्रतिबंध को शिथिल किया जा सकता है।